

कार्यालय जिला परिषद, झालावाड़

दिनांक : 20/8/19

क्रमांक / जिपझा / रात्रि-चौपाल / 2019 / 388

आदेश

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(8) प्रसु/ टाईम्स/ 2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 तथा इस कार्यालय के क्रमांक: 215-245 पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 30.01.2015 एवं आदेश क्रमांक 495-496 पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 28.05.2015 के क्रम में आम जन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के माह सितम्बर, 2019 में दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल का कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा :-

दिनांक	नाम उपखण्ड	नाम ग्राम पंचायत व पंचायत समिति	दौरा/निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
03.09.2019 (मंगलवार)	खानपुर	ग्रा.पं. सोजपुर पं.स. खानपुर	निरीक्षण, जनसुनवाई, एवं रात्रि चौपाल
05.09.2019 (गुरुवार)	पिडावा	ग्रा.पं. मंगीसपुर पं.स. सुनेल	निरीक्षण, जनसुनवाई, एवं रात्रि चौपाल
10.09.2019(मंगलवार)	झालावाड़	ग्रा.पं. रेपला पं.स. बकानी	निरीक्षण, जनसुनवाई, एवं रात्रि चौपाल
12.09.2019 ( गुरुवार )	झालावाड़	ग्रा.पं. झूमकी पं.स. झालरापाटन	निरीक्षण, जनसुनवाई, एवं रात्रि चौपाल
17.09.2019 (मंगलवार)	खानपुर	ग्रा.प. खण्डी पं.स. खानपुर	निरीक्षण, जनसुनवाई, एवं रात्रि चौपाल
19.09.2019 ( गुरुवार )	अकलेरा	ग्रा.पं. भालता पं.स. अकलेरा	निरीक्षण, जनसुनवाई, एवं रात्रि चौपाल
24.09.2019 (मंगलवार)	पिडावा	ग्रा.पं. चछलाव पं.स. सुनेल	निरीक्षण, जनसुनवाई, एवं रात्रि चौपाल

- राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर डी.डी.जी. 1 से डी.डी.जी. 7 तक के प्रपत्र व जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे, रात्रि चौपाल ऑनलाईन उपलब्ध करवा दिये गये है। सम्बंधित Adopters अधिकारी उक्त प्रपत्रों को जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे के पश्चात् उसी दिन ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्पूर्ण रात्रि चौपाल/जनसुनवाई कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे तथा सहायक प्रभारी संबंधित विकास अधिकारी होंगे।
- उपखण्ड अधिकारी अपने स्तर से संबंधित जनप्रतिनिधिगणों को चौपाल में उपस्थित होने हेतु निवेदन करेंगे।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में निम्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/ब्लाक स्तरीय अधिकारी (जिला स्तरीय अधिकारी की अनुपस्थिति में) प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर मौके पर पंचायत की समस्त विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण व समस्याओं का समाधान करेंगे तथा लापरवाह अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र भरकर रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे :-

1. जलदाय विभाग 2. विद्युत विभाग 3. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज 4.राजस्व 5. शिक्षा विभाग 6.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 7. पशुपालन विभाग 8. रसद विभाग 9. समाज कल्याण विभाग 10. महिला एवं बाल विकास विभाग 11. सार्वजनिक निर्माण विभाग 12. कृषि विभाग

- सभी विभाग रात्रि चौपाल/जनसुनवाई के निर्धारित दिवस पर प्रातः 10 बजे संबंधित पंचायत में उपस्थित होकर समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे तथा उनका निस्तारण भी करेंगे।
- पटवारी एवं ग्राम सेवक विभिन्न व्यक्तिगत लाभ के आवेदन पत्र भरवायेंगे, उनकी पूर्ति भी करावेंगे जिससे रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में स्वीकृति जारी की जा सकें।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में प्राप्त जन समस्याओं को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसका समाधान मौके पर ही संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई के दो दिन पूर्व संबंधित उपखण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उस पंचायत की क्या-क्या परिसम्पत्तियाँ है, उसकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय पर फैक्स द्वारा भिजवायेंगे तथा गांव की रूपरेखा मौके पर ही तैयार रखेंगे।
- उस ग्राम की ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियुक्त ग्राम सेवक/पटवारी/आंगनबाडी कार्यकर्ता/महिला सुपरवाइजर/ए0एन0एम0 एवं वहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में ब्यौरा चौपाल में प्रस्तुत करेंगे।
- उस ग्राम में विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं यथा मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना/ पेंशन/महानरेगा/अन्न सुरक्षा योजना एवं बीपीएल सूची में नाम इत्यादि से लाभान्वित परिवार/व्यक्ति का ब्यौरा रखें।
- जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नहीं किया जा सकता उनको पंजीबद्ध करके संबंधित विभाग को कम से कम समय में निस्तारण करने हेतु पाबन्द किया जावे। इसकी सूचना चौपाल प्रभारी रखेंगे।

Jan Sunvai CEO Sir

प्रत्येक समस्या/प्रार्थना पत्र को पंचायत समिति स्तर के सम्पर्क समाधान पोर्टल पर चौपाल के अगले दिन दर्ज किया जावेगा।

- निरीक्षण/जनसुनवाई/रात्रि चौपाल के समय प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को दर्ज कर निर्धारित प्रारूप में परिवादी को पावती देने की जिम्मेदारी सम्बंधित कलस्टर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी) की होगी।
- प्रभारी अधिकारी रात्रि चौपाल/जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्त में पटवारी/ग्राम सेवक से लिखित में यह प्रमाण पत्र लेगें कि उक्त ग्राम/ग्राम पंचायत में राजकीय योजनाओं यथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होने से कोई भी व्यक्ति शेष नहीं है।
- निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल/जनसुनवाई की समस्त प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 215-245/पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 30.01.2015 में संलग्न प्रपत्रों में तैयार की जायेगी।  
संलग्न :- माह सितम्बर 2019 का कार्यक्रम।

नोट :- प्रायः देखा गया है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता की जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी/कार्मिक उपस्थित नहीं होने के कारण जनता की समस्याओं का मौके पर निस्तारण नहीं हो पाता है।  
अतः आप उक्त कार्यक्रमानुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(13)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, झालावाड़  
दिनांक : 20/8/19

क्रमांक/जिपझा/रात्रि-चौपाल/2019/ 388  
प्रतिलिपि माननीय जन प्रतिनिधिगण:-

10. माननीय सांसद महोदय, लोकसभा संसदीय क्षेत्र झालावाड़-बारां ।
11. श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, माननीया विधायक, विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन, राजस्थान।
12. श्री नरेन्द्र नागर, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र खानपुर, ग्राम कवल्दा, तह. खानपुर।
13. श्री कालूराम मेघवाल, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र उग, ग्राम उमरिया ग्राम पंचायत पिपलियाखुर्द, तह. गगधार।
14. श्री गोविन्द रानीपुरिया, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना ग्राम रानीपुरिया,, तह. अकलेरा।
15. श्रीमती टीना कुमारी, माननीया जिला प्रमुख महोदया-जिला परिषद झालावाड़।
16. श्री भागचन्द दांगी, माननीय उ.प. जिला प्रमुख महोदय-जिला परिषद झालावाड़।
17. जिला परिषद सदस्य श्री/श्रीमती ..... वार्ड नंबर.....

18. प्रधान महोदय/महोदया, पंचायत समिति झालरापाटन/ खानपुर/ अकलेरा/ मनोहरथाना/ बकानी/ पिड़ावा-मु.सुनेल/ भवानीमण्डी/उग।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है -

17. श्रीमान् अति० मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
18. श्रीमान् अति० मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
19. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा।
20. श्रीमान् जिला कलेक्टर, झालावाड़।
21. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़।
22. मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़।
23. अति.जिला कलेक्टर, झालावाड़
24. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण.....
25. प्रभारी अधिकारी पी.जी.सेल कलेक्ट्रेट झालावाड़।
26. उपखण्ड अधिकारी समस्त.....
27. तहसीलदार/नायब तहसीलदार समस्त.....
28. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त.....को भेजकर लेख है कि संबंधित जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति सदस्य को अवगत कराना सुनिश्चित करे।
29. उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को जिला वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
30. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झालावाड़।
31. पीए टू कलेक्टर/पीए टू सीईओ/पीए टू एसीईओ।
32. श्री रघुराजसिंह हाडा, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

(13)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, झालावाड़

24.09.2019 ( मंगलवार)झालावाड़

ग्रा.पं. रेपला पं.स. बकानी

Jan Sunvai CEO Sir